20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0 प्र0)

423

प्रकरण क्र0 नि0 3575-I-16 सन् 2016

अमित कुमार सोनी तनय श्री सुन्दर लाल सोनी
निवासी ग्राम – फौजदार मुहल्ला राजनगर
तहसील– राजनगर जिला – छतरपुर म0प्र0..................आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1) भागवती देवी पुत्री स्व0रामाधीन सोनी
पत्नी श्री सीताराम सोनी निवासी राजनगर,
हाल निवासी गुराई बाजार गुरसराय तहसील गरोठा
जिला झॉसी उ0प्र0
2) मुन्नी उर्फ फूला देवी जड़िया पुत्री स्व0रामाधीन सोनी
वेवा स्व0 श्री रमाशंकर जड़िया निवासी राजनगर,
हाल निवासी तहसील रोड सदर बाजार सरस्वती
शिशु मंदिर स्कूल के पास अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0
3) कट्टो सोनी पुत्री स्व0 रामाधीन सोनी
वेवा स्व0 श्री देवीप्रसाद सोनी निवासी राजनगर,
हाल निवासी गायत्री मंदिर के पीछे रावत मुहल्ला छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ...... अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के अपील प्रकरण क्रमांक 35 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 से दु:खी होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

महोदय

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि मौजा राजनगर स्थित भूमि खसरा नं0 379, 380, 382, 383 कुल किता 04 एकत्र रकवा 1.774 हे0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निगरानीकर्ता के मामा स्व0 श्री शंकरलाल तनय रामाधीन सोनी जरिए संरक्षक निगरानीकर्ता अमित तनय सुन्दर लाल सोनी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

अमित सोनी

क्रमशः / / 2 / /

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3575-एक/2016 जिला छतरपुर अमित विरूद्ध भागवती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक के प्रकरण क्रमांक 35/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.01.19
सदस्य